

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

27 अप्रैल, 2017 (ई0)

[नवम्(विशेष)सत्र]

गुरुवार,तिथि-

07 वैशाख,1939 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

- (01)- अध्यक्ष का प्रारम्भिक वक्तव्य।
- (02)- शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)।

सभापति तालिका की घोषणा

- (03)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-10(1) के अन्तर्गत सभापति तालिका की घोषणा।

औपचारिक-कार्य

- (04)- सभा द्वारा विगत सत्रों में स्वीकृत तथा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों के विवरण का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना।

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय(वित्त)विधेयक

झारखण्ड माल एवं सेवा कर विधेयक,2017

- (05)- मुख्यमंत्री (प्रभारी वाणिज्य-कर विभाग) श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड माल एवं सेवा कर विधेयक,2017"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (06)- मुख्यमंत्री (प्रभारी वाणिज्य-कर विभाग) श्री रघुवर दास,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (07)- मुख्यमंत्री (प्रभारी वाणिज्य-कर विभाग) श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड माल एवं सेवा कर विधेयक,2017" पर विचार हो।

कृ०पृ०३०/.....

(02)

- (08)- मुख्यमंत्री (प्रभारी वाणिज्य-कर विभाग) श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017" स्वीकृत हो।
- (09)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।
- (10)- शोक प्रकाश।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०३/२०१७-1836/वि०स०, राँची, दिनांक-26 अप्रैल, 2017 ई०।
प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/
माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/
महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज कुमार
26/4/2017

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०३/२०१७-1836/वि०स०, राँची, दिनांक-26 अप्रैल, 2017 ई०।
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय
को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज कुमार
26/4/2017

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०३/२०१७-1836/वि०स०, राँची, दिनांक-26 अप्रैल, 2017 ई०।
प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/
पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज कुमार
26/4/2017

(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सरोज कुमार
26/4/17

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय
झारखण्ड माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017
विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

क्रमांक	प्रस्तावक सदस्य का नाम	विधेयक की खंड सं०	प्रस्तावित संशोधन
01	02	03	04

1. प्रो० स्टीफन मराण्डी
स०वि०स०

खण्ड-2 के
उपखण्ड-07

“कि विधेयक के खण्ड-2 के उपखण्ड-07 “कृषक” से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है जो के स्थान पर (i) भारत के कोई नागरिक जो कृषि कार्य करता है जो भारत का निवासी है तथा कृषि कार्य से जिविकोपार्जन करता हो को प्रतिस्थापित किया जाय। (ii)पेट्रोलियम पदार्थ को झारखण्ड माल एवं सेवा कर विधेयक से मुक्त रखा गया है इसे भी जी०एस०टी० के अन्तर्गत शामिल किया जाय को जोड़ा जाय।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

टिप्पणी :- इस संशोधन की मान्यता के प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय का अंतिम निर्णय होगा।

ज्ञाप संख्या :-वि०स०वि०-09/2017-...1837...../वि०स०, राँची, दिनांक-26/04/2017
 प्रति:-माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/वाणिज्य-कर विभाग/
 विधि विभाग/मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/ सरकार के मुख्य सचिव/ राज्यपाल के
 प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या :-वि०स०वि०-09/2017-...1837...../वि०स०, राँची, दिनांक-26/04/2017.
 प्रति :- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को
 क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।